संख्या: 815/ 77-6-17-04(बजट)/ 16टी0सी0-1

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2018

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी-विशेष योजना, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पत्र संख्या-08/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 20-04-2017 एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी), उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पत्र संख्या-116/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 03-08-2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू. 1,74,50,00,000.00 (रू0 एक अरब चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 6,50,42,000.00 (रू0 छः करोड़ पचास लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

2- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

3- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

4- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पर होगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

5- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

www.shasanadesh.up.nic.in

6- धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उसके तत्काल उपभोग की आवश्यकता हो।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9- उक्त धनराशि को आहरित करके उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

10- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30-निवेश/ ऋण के नाम डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-B-4-166/ -X-2018 में दिनांक 28-02-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः815(1)/ 77-6-17-4(बजट)/ 16 टीसी तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, उ.प्र., इलाहाबाद-211001

2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

3- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर को पत्र संख्याः 08/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 20-04-2017, पत्र संख्या-115/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 27-07-2017 एवं संख्या-116/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 03-08-2017 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

www.shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6

7- नियोजन अनुभाग-1/ 4

8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

www.shasanadesh.up.nic.in